

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 475

प्रकरण सं:- 196/2025  
दिनांक:- 19.11.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दोड़ व मू.अ.  
नि. दोड़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दोड़ व पोटलिये की  
तहसील सिणधरी व जिला वालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 11 व 22  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>दोड़</u>	11	1139/1140 1158/1159 1495/1099	<u>सांगाराम</u> शु.	<u>सांगीलाल</u> शु.
02	<u>पोटलिये</u> <u>कोटा</u>	22	1836	<u>देवाराज</u>	<u>देवाराज</u>

समदरसिंह भाटी  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी  
दिनांक:- 19.11.2025

क्रमांक:- सम./2025/ 476-478  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।  
सांगीलाल/देवाराज जाट दोड़
2. प्रार्थी सांगीलाल/देवाराज जाट दोड़ तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

समदरसिंह भाटी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी